न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 137 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
नरपतमल मिश्रीमल एच यू एफ सिन्दरी के कर्ता नरपतमल पुत्र मिश्रीमल जाति औसवाल निवासी सिणधरी हाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा	

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बालोतरा राजस्व आवेदन संख्या 3 / 1993 बअनवान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा बनाम नरपतमल मिश्रीमल एच यू एफ, आदेश दिनांक 21.11.1995 के विरूद्ध पेश ।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 29.01.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोडेंट / प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर जाहिर किया कि विप्रार्थी / अपीलांट संयुक्त हिन्दू परिवार नरपतमल मिश्रीमल की खातेदारी भूमि मौजा होटलू के खेत खसरा संख्या 82 रकबा 21.05 बीघा में से 3.06 बीघा भूमि पर विप्रार्थी का कुआ बना हुआ है जिस पर इंजन एवं बिजली की मोटर लगी हुई है जिसके पास तीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कमरो में पेण्डिंग व 14 होदिया लगी हुई है उक्त कुआ व जमीन पर रासायनिक पदार्थ से कपड़ा धुलाई का कार्य हो रहा है जिससे खातेदारी भूमि की उर्वरक क्षमता नष्ट हो रही है इस प्रकार विप्रार्थी ने खातेदारी शर्तों का उल्लंघन किया है इसलिए खातेदार की 3.06 बीघा भूमि में से खतेदारी समाप्त कर राज्य सरकार में घोषित की जावे। प्रार्थी/उतरदाता द्वारा प्रस्तुत आवेदन गलत तथ्यों पर आधारित है। अपीलांटस द्वारा आज दिन तक अपीलाधीन आराजी पर काश्त कार्य करता है तथा सदैव ही अनाज बोता है इसके अलावा उक्त जमीन पर अन्य किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रखा है। अपीलांटगण द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं लिया गया और न ही धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांट पक्ष के वकील की आपति है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपने आवेदन में यह जाहिर किया गया कि अपीलांट/विप्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि में से 3.06 बीघा भूमि पर कृर्षि हेतु कुआ बनाकर उसके पास 14 होदिया बनायी गई है जिसके पास रसायन पड़ा है कि उक्त कृर्षि कुआ अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 82 में सिंचाई करने हेतु एवं होदिया सिंचाई हेतु पानी संरक्षित करने के आश्य से बनाई गई थी। साथ ही रसायन गवार की फसल में छिटकाव सहित भूमि की उर्वरक क्षमता बढाने हेतु लाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार पचपदरा एवं उनके गवाह हल्का पटवारी बिठूजा के द्वारा कही पर भी यह स्थापित नहीं किया गया है कि रसायन उर्वरक एवं किटनासक नहीं होकर फला किस्म का था जिसका उपयोग कृर्षि उपज बढाने एवं किटनाशक नहीं किया जा सकता है अर्थात उतरदाता द्वारा किसी रसायन का नाम जाहिर नहीं किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है इससे यह स्थापित होता है कि उतरदाता/प्रार्थी तहसीलदार द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर कृषि भूमि पर सिंचाई हेतु बनाये गये कुए को गलत रूप से प्रकट कर प्रार्थी के खातेदारी अधिकार खत्म करने का प्रयास किया है जो न्यायोचित नहीं है सिंचाई हेतु कृषि कुआ बनाने से कृषि भूमि का अकृषि के रूप में उपयोग किया जाना स्थापित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं बयान पर पदर्श अंकित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पर्चा अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर पारित किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वर्णित भूमि मौजा होटलू की नहीं होकर बिठूजा की भूमि थी ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अलग राजस्व गांव की भूमि दर्शाकर अलग राजस्व गांव की भूमि पर की गई कार्यवाही पर आधारित होने से तथ्यों एवं विधि के प्रतिकूल होने से प्रारंभ से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं लिया गया और न ही धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटस द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का अकृषि कार्य के लिये उपयोग करने से अपीलांटस की खातेदारी भूमि में से जो हिस्सा खालसा किया गया वो विधि सम्मत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी के मौके पर लगातर अपीलांट/प्रार्थी का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातर चला आ रहा है परन्तु वर्तमान में अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपनी आर्थिक जरूरतो के लिए अपनी कृर्षि भूमि का अंतिम बेचान हेतु अरसा 40 दिन पूर्व प्रयास किया तब अपीलांट को जानकारी हुई, उसकी जौत में से 3.06 बीघा भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज है जिस पर अपीलांटस द्वारा आलोच्य निर्णय व डिक्री पर्चा की जानकारी लेकर प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 06.11.2023 को आवेदन किया जिस पर अपीलांटस को प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 09.11.2023 को प्राप्त हुई जिस पर अपीलांट द्वारा सम्यक सतर्कता एवं सदभावना से उक्त अपील श्रीमान के न्यायालय में पेश की जा रही है। अपीलांटस को सर्वप्रथम आलोच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित की गई जिसकी जानकारी निर्णय की दिनांक से ही अपीलांटस को थी। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अपीलांटगण का धारा 05 का प्रार्थना–पत्र अपीलांटस द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयमपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपील के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की प्रमाणित प्रतिलिपि में प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा के आवेदन पत्र का अवलोकन किया। उसके संलग्न बयान गवाह श्री निरमाराम पटवारी बिठूजा ने बयान में जाहिर किया कि "चालू जमाबंदी संवत 2048 से 2051 के अनुसार शरहद मौजा बिठूजा के खेत ख.सं. 82 रकबा 21.05 किस्म बारानी दोयम के खातेदार नरपतमल मिश्रीमल HUF सिन्दरी तहसील गुड़ामालानी के नाम से खातेदारी दर्ज है। आगे बयान में बताया कि मौके पर आज भी 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर अकृषि कार्य कपड़ा धुलाई किया जा रहा है।" सरकारी गवाह ने अपने बयान में यह कथन कही पर भी नहीं किये गये कि अपीलाधीन आराजी पर खतरनाक रासायनिक जो कपड़ा धुलाई में प्रयोग किये जा रहे है तथा अपीलाधीन आराजी पर किसी प्रकार के निर्माण के संबंध में प्रार्थी/उतरदाता के गवाह ने कोई कथन नहीं किये गये। उतरदाता/प्रार्थी तहसीलदार द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर कृर्षि भूमि पर सिंचाई हेतु बनाये गये कुए को गलत रूप से प्रकट कर प्रार्थी के खातेदारी अधिकार खत्म करने का प्रयास किया है जो न्यायोचित नहीं है सिंचाई हेतु कृर्षि कुआ बनाने से कृर्षि भूमि का अकृर्षि के रूप में उपयोग किया जाना स्थापित नहीं होता है जबकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने का आधार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी के ब्यानों को ही माना है जो विधि सम्मत नहीं है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा पटवारी बिठूजा की दिनांक 10.10.1992 को की गई मौका रिपोर्ट की प्रति पेश की गई है किन्तु उक्त मौका फर्द को प्रदर्श मार्क अंकित नहीं करवाया गया। पत्रावली पर पेश दस्तावेजात को न्यायालय के समक्ष प्रदर्श अंकित नहीं करवाया जाता है तो उसे पत्रावली पर साक्ष्य में ग्राहय नहीं किया जा सकता।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही प्रारंभ होने पर अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.05.1993 को लिखित जबाव पेश कर दिया था। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177(4) व 178 के प्रावधानों के अनुसार नोटिस में विनिदिष्ट समय में उपस्थित होने और बेदखली के दायित्व का प्रतिवाद करने पर उचित न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

फीस का संदाय करने पर न्यायालय आवेदन को वाद पत्र के रूप में कायम कर उसे वाद की तरह कार्यवाही करने को अग्रसर होगा। परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटस द्वारा उपस्थिति देकर जवाव आवेदन पेश करने के पश्चात भी उक्त प्रकरण में नियमित वाद की तरह उभयपक्ष के साक्ष्य सवूत नहीं लिये जाकर निर्विवादित साबित नहीं किया गया है कि अमुक खातेदार द्वारा अपनी कृषि जोत पर गैर कृषि कार्य किया गया, उसके खातेदारी अधिकारों का अवसान करना न्यासंगत नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हस्तगत आवेदन में अपीलांटस के अधिवक्ता बीमार चल रहे थे जिसकी सूचना अपीलांटस स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पेशी दिनांक 30.03.1993 व दिनांक 13.04.1993 को दी गई जिसका हवाला आदेशिका में भी है। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार के विरूद्ध कठोरता करते हुए बिना साक्ष्य संकलित किये मात्र हल्का पटवारी के ब्यान को दर्ज करते हुए बयानो में जिरह तक का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के क्रमांक 67 के अनुसार धारा 177 की कार्यवाही सहायक कलक्टर बालोतरा के न्यायालय से ही की जानी थी जबकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा की हैसियत से पारित की गई जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। उपरोक्त विवेचन, तथ्यों एवं मेरी सुविचारित राय में अपीलांटस की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा राजस्व आवेदन संख्या 3/1993 बअनवान सरकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जरिये तहसीलदार पचपदरा बनाम नरपतमल मिश्रीमल एच यू एफ, आदेश दिनांक 21.11.1995 को अपास्त किया जाता है तथा मौजा बिठूजा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 82 की खालसा की गई भूमि रकबा 03.06 बीघा भूमि जिसके वर्तमान खसरा संख्या 726/82 रकबा 0.5342 हैक्टयर भूमि को पुनः अपीलांटस की खातेदारी में बहाल कर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांटस के नाम से इन्द्राज करे। साथ ही अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि वे अपने खातेदारी आराजी का किसी भी सूरत में भविष्य में गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं हो, अन्यथा वे इसके लिए उत्तरदायी रहेंगे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर